प्रभुराम बनाम समरथाराम

राजस्व वाद संख्या 221/2018

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
18.11.2019	पत्रावली पेश हुई। वादीगण के वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 के वकील उप0। शेष प्रतिवादी संख्या 2 से 13 एक तरफा। उभय पक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। वादीगण ने उक्त वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य खातेदारान की संयुक्त एवं पुश्तैनी खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 395 रकबा 61.08 बीघा मौजा भगवानोणियों की ढाणी तथा खेत खसरा नम्बर 248 रकबा 49.13 बीघा मौजा निम्बला पटवार मण्डल निम्बला, तह0 शिव मे आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य खातेदारान की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि वक्त बंदोबस्त वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता फरसाराम के नाम से आई हुई थी जो विरासत मे प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पुश्तैनी हिस्से अनुसार प्राप्त हुई है। वादीगण जाति से कुम्हार होने से हिन्दू विधि से शासित होते है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी एवं सहदायिकी की होने के कारण उक्त भूमि पर वादीगण का जन्मतः हक है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 की औलादें हैं किन्तु वादीगण के पितामह फरसाराम के फोत होने पर दायर नामान्तकरण में केवल प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज होने से राजस्व रेकर्ड में भी वादीगण के नाम दर्ज नहीं हुए अतः वादीगण ने वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ स्वयं को सहखातेदार घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। वाद पंजीयन कर उसमें अंकित तथ्यों के संबंध में पुश्तैनी रेकर्ड में खतोनी बन्दोबस्त का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री देवीलाल कुमावत उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा माफिक वाद स्वयं के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किये जाने मे अपनी सहमति व्यक्त की वादीगण ने बतौर साक्ष्य अपना ब्यान ग्वाह शपथ पत्र प्रस्तुत किया। पक्षकारन ने अपने बयान कलमबद्व करवाये ओर दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदिया, खतोनीबन्दोबस्त व संरपच ग्राम पंचायत निम्बला द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है।	

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

कीर्ती का
सभा

डिक्री पर्चा
(आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव जिला बाडमेर

राजस्व वाद सं. 221/2018

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. प्रभुराम पुत्र समर्थाराम 2. नेनाराम पुत्र समर्थाराम 3. गुणेशाराम पुत्र समर्थाराम 4. अगराराम पुत्र देवाराम 5. खेताराम पुत्र देवाराम 6. छगनीदेवी पत्नी देवाराम जाति– कुम्हार नि0 भगवानोणियों की ढाणी तह0 शिव।		1. समरथाराम पुत्र फरसाराम 2. राणाराम पुत्र अनोपाराम 3. हीरालाल पुत्र अनोपाराम 4. पुरखाराम पुत्र अनोपाराम 5. नगाराम पुत्र अनोपाराम 6. बाबूलाल पुत्र अनोपाराम 7. मूली पत्नी अनोपाराम 8. अलसाराम पुत्र ताराराम 9. भंवरराम पुत्र ताराराम 10. धर्माराम पुत्र गोरधनराम 11. उदाराम पुत्र गोरधनराम 12. उम्मेदाराम पुत्र गोरधनराम 13. प्रेमकुमार पुत्र गोरधनराम जाति–कुम्हार नि0 भगवानोणियों की ढाणी, तह0 शिव जिला बाडमेर।

अधिवक्तागण –वादी वकील – श्री ईश्वरसिंह भाटी उपस्थित।
प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री देवीलाल कुमावत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वकील श्री ईश्वरसिंह भाटी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री देवीलाल कुमावत उपस्थिति में आज तारीख 18.11.2019 को सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) शिव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा भगवानोणियो की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 395 रकबा 61.08 बीघा व मौजा निम्बला के खसरा नम्बर 248 रकबा 49.13 बीघा पटवार मण्डल निम्बला तह0 शिव की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहहिस्सा बराबर के सह खतेदार घोषित किये जाते है। शेष प्रतिवादी संख्या 2 से 13 का खातेदारी हिस्सा 1/2 यथावत रहेगा। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) शिव

Scanned by CamScanner

हमने वाद के तथ्यों पर दोनों पक्षों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गंम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी की खतोनी बन्दोबस्त ग्राम निम्बला, तहसील शिव के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी एवं सहदायिकी सम्पति की है। जो उन्हें फरसाराम से विरासत मे प्राप्त हुई थी। संरपच द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार समर्थाराम के तीन पुत्र– प्रभुराम, नेनाराम, गणेशाराम, दो पौत्र अगराराम, खेताराम, पुत्र वधु छगनी देवी है और इनके अतिरिक्त समर्थाराम के अन्य कोई जीवित या मृत वारिस नहीं है और पुश्तैनी भुमि के आधार पर वादीगण का उक्त भूमि पर जन्मतः हक है मौखिक साक्ष्य के अभिकथनों से वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा भगवानोणियो की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 395 रकबा 61.08 बीघा व मौजा निम्बला के खसरा नम्बर 248 रकबा 49.13 बीघा पटवार मण्डल निम्बला तह0 शिव की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहहिस्सा बराबर के सह खतेदार घोषित किये जाते है। शेष प्रतिवादी संख्या 2 से 13 का खातेदारी हिस्सा 1/2 यथावत रहेगा।

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तदुनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
(SD) शिव
शिव

न्यायालय सहायक
राजस्व वाद सं. 221/2018
वादीगण

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 16:05:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: